सिटीजन्स चार्टर

वाणिज्य कर विभाग,
उत्तराखण्ड सरकार

" यह चार्टर वाणिज्य कर विभाग के उद्देश्यों, मूल्यों तथा मानकों एवं वाणिज्य कर कानूनों के नियमों तथा प्रक्रियाओं के व्यापार एवं उद्योगों के हित में तथा राज्य सरकार के राजस्व को बढ़ाने के लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में, विभाग की प्रतिबद्धता का लेखपत्र है। वाणिज्य कर विभाग व्यापार एवं उद्यागों को प्रदेश की समग्र प्रगति में अपना सहभागी बनाकर अग्रसर रहने हेतु संकल्पबद्ध है। "

वाणिज्य कर विभाग की प्रतिबद्धतायें

- कार्यो का निष्पादन सम्पूर्ण
  - निष्ठा व न्यायप्रियता,
  - शिष्टाचार,
  - तथ्यपरकता तथा पारदर्शिता,
  - तत्परता तथा दक्षता,
  - निष्पक्षता तथा नियमबद्धता, के साथ करने के लिए प्रतिबद्ध।
- सम्मानित करदाताओं को स्वेच्छा से देय करों का भुगतान करने के लिए प्रोत्साहन।
- प्रदेश के व्यापार व उद्योग के सर्वागीण विकास हेतु सार्थक प्रयास करके उत्तराखण्ड राज्य को उद्योग–प्रधान प्रदेश बनाने में रचनात्मक भुमिका निभाने के लिए संकल्पित।

विभाग की करदाताओं से अपेक्षायें

- करदाताओं से अपेक्षा है कि देय वाणिज्य कर, प्रवेश कर का भुगतान नियमित रूप से करें तथा क्रय–विक्रय सम्बन्धी समस्त संव्यवहारों के विवरण प्रान्तीय (उत्तराखण्ड मूल्य–वर्धित कर अधिनियम– 2005) एवं केन्द्रीय बिक्री अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित प्रारूप में निर्धारित समय में प्रस्तुत करें। विभाग द्वारा एकत्र किया गया कर राज्य की विकास योजनाओं के क्रियान्वयन के लिये व्यय होता है।
- बिक्री के नियमित कैश मीमो/इनवाइस जारी करके उपभोक्ता हितों की रक्षा के साथ–साथ व्यापार में पारदर्शिता बनायें।

वाणिज्य कर विभाग के मानक

- नये पंजीयन प्रार्थना पत्रों का निस्तारण प्रार्थना पत्र की प्राप्ति की तिथि के दो दिन के अन्दर किया जाना। व्यापारियों द्वारा पंजीयन से सम्बन्धित सभी औपचारिताएं पूर्ण करने देने पर इस अवधि से पहले ही पंजीयन जारी कर दिया जाता है।
- अधिक जमा किये गये वाणिज्य कर की धनराशि की वापसी आदेश पारित होने की तिथि से अधिकतम 60 दिन के अन्दर रिफण्ड किया जाना तथा विलम्ब की स्थिति में 9 प्रतिशत ब्याज दिये जाने की व्यवस्था।
- विक्रय योग्य फार्मो का आवेदन पत्र अपरान्ह दो बजे तक आवेदन प्राप्त होने पर उसी दिन कार्य समय के अन्दर सांय पांच बजे तक व्यापारी को फार्म प्राप्त कराये जाना।
- कर निर्धारण की समय सीमा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद 03 वर्ष।
- धारा– 30 तथा 31 के प्रार्थना पत्रों का निस्तारण प्रार्थना पत्र की प्राप्ति के 30 दिन में करना।

उद्योगों को प्रदत्त सुविधायें

- [illegible]

- औद्योगिक इकाईयों को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से भारत सरकार के पैकेज के तहत स्थापित होने वाली इकाईयो जिनके द्वारा उत्पादन 07.01.2003 एवं 31.03.2010 के मध्य प्रारम्भ किया गया हो, को विज्ञप्ति दिनांक 09.04.2007 द्वारा पांच वर्ष के लिये केन्द्रीय बिक्री की सामान्य कर की दर 4% (वर्तमान में 2%) के स्थान पर 1 प्रतिशत किये जाने की व्यवस्था।
- उक्त के अतिरिक्त प्लांट एवं मशीनरी पर रूपये 25 करोड़ तक का पूंजी निवेश वाली पुरानी औद्योगिक इकाईयों को विज्ञप्ति दिनांक 03.07.2004 द्वारा केन्द्रीय बिक्री में 4 प्रतिशत केन्द्रीय बिक्री कर की सामान्य दर (वर्तमान में 2 प्रतिशत) के स्थान 1 प्रतिशत कर दी गयी है।

व्यापारियों के हित में लागू प्रमुख योजनायें

- ईट भट्ठा, सिविल संविदाकार एवं विद्युत संविदाकार के सम्बन्ध में समाधान योजना (जो स्वैच्छिक है) वर्तमान में लागू है।
- व्यापारियों को उनकी न्यूनतम 3 माह की आवश्यकता के अनुरूप विक्रय योग्य फार्म जारी करने की व्यवस्था की गई है। शीघ्र ही Online प्रार्थना पत्र देने तथा विक्रय योग्य फार्म्स download करने की सुविधा दिये जाने पर विचार।
- मूल्य–वर्धित कर प्रणाली के अन्तर्गत डीम्ड एसेसमेन्ट व्यवस्था के अन्तर्गत यदि कोई रिफन्ड निकलता है, उसकी तत्काल वापसी के निर्देश जारी।
- वाणिज्य कर के वित्तीय वर्ष 2008–09 एवं 2009–10 के लम्बित वादों के निस्तारण हेतु स्वतः कर निर्धारण योजना छोटे एवं मध्यम स्तर के ऐसे व्यापारियों जिनकी कुल टर्नओवर रू0 5 करोड़ तक है, के लिये लागू।
- सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़े उद्योगों द्वारा निर्मित माल की केन्द्रीय बिक्री दिनांक 18.07.2011 से करमुक्त घोषित।
- Online पंजीयन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की सुविधा तथा औपचारिकतायें पूर्ण करने पर अविलम्ब TIN जारी करने की व्यवस्था।
- Online कर तथा अन्य देयों को जमा करने की सुविधा भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, तथा बैंक आफ बड़ौदा में लागू। निजी क्षेत्र के बैंकों तथा Union Bank, AXIS BANK तथा ICICI बैंक के माध्यम से भी सुविधा लागू करने की e- payment सुविधा दिये जाने पर विचार।
- Online नक्शा दाखिल करने की सुविधा।
- सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत प्राप्त प्रार्थना पत्रों के निस्तारण हेतु सभी कार्यालयों में लोक सूचना अधिकारी एवं सहायक लोक सूचना अधिकारी नामित।
- व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना लागू। इसके अन्तर्गत पंजीयन फर्म के पार्टनर/प्रोप्राइटर की दुर्घटना में मृत्यु हो जाने पर रू 5 लाख बीमा कम्पनी से दिलाये जाने की व्यवस्था। बीमा कम्पनी को प्रीमियम की धनराशि राज्यसरकार द्वारा दी जा रही है।
- व्यापार कर की पुरानी बकाया जो दिनांक 01.04.1988 से दिनांक 31.03.2006 के मध्य सृजित हुई है, के समापन एवं ब्याज/अर्थदण्ड माफी योजना "वन टाइम सैटलमेन्ट योजना" 2011–2012 लागू।

वाणिज्य कर के प्रत्येक मण्डल कार्यालय में जन सम्पर्क कार्य हेतु डिप्टी कमिश्नर (क0नि0) प्रभारी एवं असिस्टेंट कमिश्नर(प्रभारी) नियुक्त, जिनके द्वारा:–

- शिकायतें प्राप्त की जायेगी।
- उन्हें प्राप्त शिकायतों का निस्तारण अधिकतम एक माह करने की व्यवस्था।
- शिकायतकर्ता/सूचना देने वाले व्यक्ति का नाम गोपनीय रखा जायेगा।
- शिकायतें प्राप्त करने के लिए प्रत्येक कार्यालय भवन में एक शिकायत पेटी भी रखी जायेगी जो प्रत्येक सोमवार को प्रभारी अधिकारी द्वारा खोलकर उनकी प्रविष्टि एक पंजिका में की जायेगी व निस्तारण हेतु सम्बन्धित अधिकारी को भेज कर एक प्रति ज्वाइंट कमिश्नर को भेजी जायेगी। इसके लिए ज्वाइंट कमिश्नर के कार्यालय में एक पंजिका रखी जायेगी जिसमें ऐसी प्राप्त समस्त शिकायतों की प्रविष्टि की जायेगी तथा प्रत्येक शनिवार को इसकी मानिटरिंग की जायेगी।

वाणिज्य कर विभाग का अपना वैबसाइट बनाकर समस्त सर्कूलरों तथा अन्य महत्वपूर्ण सूचनाओं का इन्टरनेट पर डालने की व्यवस्था।

वाणिज्य कर से सम्बन्धित सभी महत्वपूर्ण सर्कूलरों तथा विज्ञप्तियों को व्यापारियों एवं उद्योगों से सम्बन्धित संगठनों की भेजने की व्यवस्था।

सम्पर्क करें

आयुक्त कर,
उत्तराखण्ड।
9412058555

एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तराखण्ड।
e-mail: vks_seven@rediffmail.com
9412087581